कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श विद्यालय/अ–1/21312/2018–19/57 दिनांकः– 24-01-2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषय :– राज्य की आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के नाम को उचित एवं स्पष्ट रूप से लिखवाने बाबत।

प्रसंग :– राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर के पत्रांक–रास्कूलशिप/जय/आदर्श एवं उत्कृष्ट/2019–20/9584 दिनांक 24.01.2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के **समसंख्यक पत्रांक–दिनांक 13.09.2019** एवं **राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर के पत्रांक–रास्कूलशिप/जय/आदर्श एवं उत्कृष्ट/2019–20/5693 दिनांक 12.09.2019** द्वारा राज्य सरकार की आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी विस्तृत दिशा–निर्देशानुसार राज्य की आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित राजकीय विद्यालयों के मूल नाम में आदर्श/उत्कृष्ट शब्द नहीं जोडते हुए सहज दृष्ट्या स्थानों (आसानी से दिखाई देने वाले स्थान) पर **"राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित/राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित "** लिखा जाने, विद्यालय के मुख्य द्वार के बोर्ड पर अंकित विद्यालय के नाम में/शाला दर्पण पोर्टल पर अंकित विद्यालय के नाम/विद्यालय के लेटर हैड/स्टाम्प (मोहर) इत्यादि में भी विद्यालय के नाम के साथ गलत रीति अपनाते हुए जोड़े गए आदर्श/उत्कृष्ट शब्द को हटाते हुए आवश्यक संशोधन/सुधार की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए पाबन्द किया गया था, जिसकी पालना में समस्त जिलों से उक्त के संबंध में कार्यवाही सम्पादित करने संबंधी प्रमाण–पत्र भी इस कार्यालय को प्राप्त हो चुके है।

तथापि वर्तमान में यह संज्ञान में आया है कि कुछ संस्था प्रधानों के द्वारा विद्यालय के मुख्य बोर्ड पर अंकित विद्यालय के नाम में से केवल "आदर्श/उत्कृष्ट" शब्द को पेन्ट करवा दिया गया है, कुछ संस्था प्रधानों ने केवल उक्त शब्दों को अखबार चस्पा कर ढक दिया है जबकि शेष नाम पूर्व की भांति ही लिखा हुआ है। संस्था प्रधानों की उक्त रीति से विद्यालय का नाम अनुचित एवं अस्पष्ट प्रदर्शित होता है।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिले में जिन संस्था प्रधानों द्वारा ऐसा किया गया है वे विद्यालय के नाम को पुनः पूरी तरह पेन्ट करवाने के पश्चात् विद्यालय के पूरे नाम को उचित एवं स्पष्ट रूप से लिखवाकर उसके नीचे सुपाठ्य अक्षरों में **"राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित/राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित "** लिखवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त के संबंध में **दिनांक 15.02.2020** तक आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात यदि आपके जिले के आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के नाम के सम्बन्ध में उपर्युक्त निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो इस स्थिति में दायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(हिमांशु गुप्ता) 24/01
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श विद्यालय/अ–1/21312/2018–19/57 दिनांकः– 24-01-2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
5. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उपसचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
8. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा) को भेजकर लेख है कि संभाग क्षेत्राधिकार में उक्त कार्यवाही की निर्धारित समयावधि में पालना सुनिश्चित करावें।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माशि/प्राशि।
11. समस्त अति.जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान।
13. प्रभारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
14. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
15. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
16. सहायक निदेशक, माध्यमिक अनुभाग, कार्यालय हाजा।
17. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
19. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर